न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 950–तीन/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–3–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 430/14–15/अपील

.....

मायाराम पिता मुन्नालाल गारी
निवासी ग्राम सिरोंज तहसील व जिला
देवास म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1–रामसिंह पिता रतनसिंह राजपूत
2–जुझार सिंह पिता रतनसिंह राजपूत
निवासी गण ग्राम सिरोंज तहसील व जिला
देवास म0प्र0
..... अनावेदकगण

.....

श्री एम0एल0चौधरी, अभिभाषक–आवेदक
श्री रमेश सिंह सेंधव, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10/11/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार देवास के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर जाने हेतु रूढ़िगत रास्ते को आवेदक द्वारा अवरूद्ध किये जाने से खुलवाये जाने

हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–12–2014 को आदेश पारित कर अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5–5–2015 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर आवेदक को निर्देशित किया गया कि वह प्रश्नाधीन रास्ते से अनावेदकगण को आने–जाने दें एवं बाधा उत्पन्न नहीं करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15–3–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रश्नाधीन रास्ता रूढिगत रास्ता होने के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया गया है बल्कि साक्ष्य में यह बात आई है कि प्रश्नाधीन रास्ता वर्तमान में खुला हुआ है और आवेदक को परेशान करने के उद्देश्य से अनावेदकगण द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा अवैध रूप से फोटो तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये गये है और तहसीलदार द्वारा उन्हें साक्ष्य में ग्राह्य करने में अधिनियम की धारा 65(बी) एवं 62 का उल्लघंन किया गया है ।

(3) आवेदक की ओर से स्वयं की साक्ष्य एवं ग्राम सरपंच की साक्ष्य कराई गई थी, जो कि अखंडित है ।

(4) इस न्यायालय के प्रशासकीय सदस्य द्वारा प्रकरण में स्थगन दिया गया था एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आवेदक के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया गया है, इससे स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश का कियान्वयन नहीं हुआ है ।

(5) अनावेदकगण की भूमि आबादी से लगी हुई है और वहॉ अनावेंदकगण के मकान होकर मकान से लगी खलिहान है एवं उनके द्वारा आबादी से अन्य कहीं आना–जाना नहीं किया जाता है, अतः ऐसी स्थिति में आवेदक की भूमि से रास्ता दिये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

(6) अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदक की भूमि से नया रास्ता चाहा गया था, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है, उनके द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 71 एवं 72 की है एवं सर्वे नम्बर 73 आवेदक की भूमि है और अनावेदकगण द्वारा सर्वे कमांक 73 एवं ग्राम आबादी की मेढ़ से कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिये रास्ते का उपयोग करते थे । उक्त रास्ते को आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है इससे अनावेदकगण को कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रास्ता खोले जाने का आदेश देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(2) पूर्व में तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को प्रश्नाधीन रास्ता दिया गया था जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने पर राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 30–12–2013 को निगरानी निरस्त कर दी गई थी, अतः अनावेदकगण को परेशान करने के उद्देश्य से आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

(3) अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रश्नाधीन रास्ता रूढिगत रास्ता होने के तथ्य को प्रमाणित किया गया है लेकिन तहसीलदार द्वारा खलिहान का

उल्लेख करते हुये अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(4) आवेदक द्वारा उसके भाई के सरपंच होने का लाभ लेते हुये राजनैतिक प्रभाव से बिना किसी अनुमति के प्रश्नाधीन रास्ते को अवरूद्ध किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उनके द्वारा जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है, उसमें रास्ता होने का उल्लेख नहीं है और अनावेदकगण को अपनी भूमि पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता पूर्व से उपलब्ध है एवं संहिता की धारा 131 एवं 32 के अन्तर्गत कृषि भूमि पर जाने के लिये रास्ता देने का प्रावधान है, खलिहान के लिये रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर होना और उसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा आदेश में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का उल्लेख तो किया है, परन्तु उसके संबंध में कोई विवेचना आदेश में नहीं की गई है । तहसीलदार का यह निष्कर्ष भी वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है कि संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत केवल कृषि भूमि पर ही रास्ता दिये जाने का प्रावधान है क्योंकि खलिहान का उपयोग भी कृषि कार्य के लिये ही किया जाता है, इसलिये संहिता की धारा 131 लागू होती है । स्पष्टतः तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि अनोवदकगण की भूमि पर जाने हेतु आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 73 से रूढिगत रास्ता है, जिसका अनावेदकगण द्वारा वर्षो से उपयोग किया जा रहा है

और तहसीलदार द्वारा भी आदेश पत्रिका में प्रश्नाधीन रास्ता उपलब्ध होना बताया जा रहा है । आवेदक द्वारा उनकी भूमि से लगी सरकारी भूमि पर मकान बनाकर प्रश्नाधीन रास्ते को अवरूद्ध किया गया है, जिससे अनावेदकगण सहित अन्य कृषकों का रास्ता बन्द हो गया है, और अनावेदकगण अपनी भूमियों पर जाने से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनके मार्ग सुखाधिकार एवं मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अनावेदकगण को रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो कि वैधानिक एवं उचित कार्यवाही होने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर